न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल,

अध्यक्ष

निगरानी प्रकरण कमांक 2158–पीबीआर/2015 विरूद्ध आदेश दिनांक 26–2–2015 पारित द्वारा न्यायालय अपर आयुक्त नर्मदापुरम संभाग होशंगाबाद, प्रकरण कमांक 182/अपील/2009–10.

.....

श्रीमती कृष्णाबाई पत्नि हाकमसिंह वर्मा,
निवासी मालखेडी होशंगाबाद तहसील
व जिला होशांगाबाद म0प्र0

..... आवेदिका

विरूद्ध

1–कमल वर्मा आ0 धरमपाल वर्मा
2–कमलाबाई पत्नि धरमपाल वर्मा
3–सुशीलाबाई पत्नि स्व0कन्हैयालाल वर्मा
निवासीगण मालखेडी होशंगाबाद तहसील
व जिला होशांगाबाद म0प्र0

..... अनावेदकगण

.....

श्री आर0पी0यादव, अभिभाषक–आवेदिका
श्री बी0के0पटेल, अभिभाषक–अनावेदकगण

.....

:: आदेश ::

(आज दिनांक 7/1/18 को पारित)

यह निगरानी आवेदिका द्वारा मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संक्षेप में केवल "संहिता" कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त नर्मदापुरम संभाग होशंगाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक 26.2.2015 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अनावेदक कमांक 1 के नाना एवं नानी के चार पुत्रियॉ थी और पुत्र नहीं था, अतः नाना, नानी द्वारा अनावेदक कमांक 1 को बाल्यावस्था में ही अपने पास रख लिया था । इसी प्रकार उसकी मौसी केशरबाई के पति का देहांत हो जाने के कारण वह भी उसी के साथ निवास करती थी । नाना, नानी की मृत्यु हो जाने के उपरांत उनके नाम दर्ज भूमि चारों पुत्रियों को बराबर हिस्से में प्राप्त हुई । चूँकि केशरबाई के भी कोई संतान नहीं थी

इसलिये केशरबाई ने अपने हिस्से की भूमि अनावेदक कमांक 1 के नाम वसीयत की। केशरबाई की मृत्यु दिनांक 7–1–2000 को हो जाने के पश्चात् उनकी भूमि अनावेदक कमांक 2 द्वारा पटवारी से अपने दर्ज करने का निवेदन किया गया और पटवारी ने नाम दर्ज करने का आश्वासन भी दिया इसलिये अनावेदक कमांक 1 मई 2008 में जब वह ऋण पुस्तिका पर नाम दर्ज कराने गया तब उसे जानकारी हुई कि उसकी भूमि पर आवेदिका सहित अनावेदक कमांक 2 व 3 का नाम दर्ज हो गया है, अतः उसके द्वारा तत्काल नामान्तरण पंजी की नकल निकलवाकर अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 13–1–2009 को आदेश पारित कर अपील निरस्त की गई । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध द्वितीय अपील अपर आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 26–2–2015 को आदेश पारित कर अनुविभागीय अधिकारी का आदेश निरस्त किया जाकर अपील स्वीकार की गई एवं निर्देश दिये गये कि अनावेदक कमांक 2 तहसीलदार के समक्ष स्वतंत्र रूप से आवेदन पत्र नामान्तरण हेतु प्रस्तुत कर सकता है । अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदिका के विद्वान अधिवक्ता द्वारा लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये है :–

(1) अनावेदक कमांक 1 द्वारा बटवारे प्रकरण में पक्षकार बनने का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया था एवं बटवारे में आपत्ति ली गई थी । तहसीलदार द्वारा उक्त आवेदन पत्र निरस्त किया गया था जिसके विरूद्ध अपर कलेक्टर के समक्ष निगरानी प्रस्तुत किये जाने पर निगरानी निरस्त हुई थी । अपर कलेक्टर के आदेश के विरूद्ध इस न्यायालय में निगरानी प्रकरण कमांक 3459–पीबीआर/13 प्रस्तुत की गई जो ग्राह्यता के बिन्दु पर निरस्त हुई तथा यह निष्कर्ष दिये गये कि उसे प्रकरण में पक्षकार बनने का कोई अधिकार नहीं है । उसके उपरांत उसके द्वारा संशोधन के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की गई, उक्त अपील में धारा 5 का इस पुनरीक्षणकर्ता ने पूर्ण विरोध किया गया तथा धारा 5 के खण्डन में कमल वर्मा के

सगे रिश्तेदारों के शपथपत्र प्रस्तुत किये जिससे यह प्रमाणित किया गया कि अनावेदक कमांक 1 को प्रश्नाधीन संशोधन की पूर्ण जानकारी थी इसके बावजूद उसने विगत 8–10 वर्षो में कभी भी उक्त संशोधन के विरूद्ध कार्यवाही नहीं की, तब उसकी अपील समय बाधित थी जिसे अनुविभागीय अधिकारी ने सूक्ष्म परिशीलन कर धारा 5 का आवेदन पत्र सहित निरस्त की जो पूर्णतः उचित एवं विधिक आदेश था, जिसे अपर आयुक्त ने निरस्त करने में गंभीर भूल की गई है ।

(2) अनावेदक कमांक 1 द्वारा फर्जी वसीयत तैयार कराई गई है जो कि न तो रजिस्टर्ड है, अतः ऐसी वसीयत के आधार अनावेदक कमांक 2 का नामान्तरण करने की अनिवार्यतः नहीं है ।

(3) अनावेदक कमांक 1 द्वारा 8 – 10 वर्ष तक नामान्तरण आदेश को चुनौती नहीं देने एवं वसीयत के आधार पर नामान्तरण की कार्यवाही नहीं कराना, स्पष्ट करता है कि उसे नामान्तरण की जानकारी प्रारंभ से रही है, क्योंकि बटवारे प्रकरण में उसके द्वारा आपत्ति प्रस्तुत की गई थी ।

4/ अनावेदक 1 के विद्वान अधिवक्ता द्वारा लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये है :–

(1) आवेदिका एवं अनावेदिका कमांक 2 व 3 आपस में सगी बहने हैं इनकी एक अन्य बहन केशरबाई थी तथा दिनांक 7–1–2000 को केशर बाई का स्वर्गवास लाऔलाद हो गया है । इनके पिता शालिगराम वर्मा प्रश्नाधीन संपत्ति के मालिक थे तथा शालिगराम की मृत्यु के पश्चात् चारों बहनों के मध्य संपत्ति का बटवारा हुआ । बटवारे अनुसार चारों बहने अपने अपने हिस्से पर काबिज है । आवेदिका एवं अनावेदिका कमांक 3 द्वारा अपने प्राप्त हिस्सो को विक्रय कर दिया है । वर्तमान में स्व0केशरबाई एवं कमलाबाई का हिस्सा शेष बचा है । शालिगराम के संतान नहीं होने से उन्होंने अनावेदक कमांक 1 कमल को उसके बाल्यकाल से ही अपने पास अपनी देखरेख हेतु रख लिया था । अनावेदक कमांक 1 की शिक्षा एवं विवाह आदि शालिगराम द्वारा ही संपन्न कराये गये, तभी से आज दिनांक तक अनावेदक कमांक 1 ग्राम मालखेड़ी में शालिगराम एवं केशरबाई द्वारा प्रदत्त मकान

में परिवार सहित निवास कर रहा है । स्व0केशरबाई अपने विवाह के कुछ समय बाद ही विधवा हो गयी थी, शालिगराम द्वारा केशरबाई को अपने पास ही रख लिया गया था तथा केशरबाई अपनी मृत्यु तक मालखेडी में ही रही है । अनावेदक कमांक 1 अपने नाना नानी तथा मौसी केशरबाई के साथ ही परिवार सहित निवास कर उनकी सेवा संभाल देखरेख पूर्ण निष्ठा व लगन से करता था तथा नाना, नानी तथा मौसी केशरबाई की मृत्यु पश्चात् के समस्त कियाकर्म आदि अनावेदक कमांक 1 द्वारा संपन्न कराये गये है ।

(2) तहसील न्यायालय द्वारा पूर्णतः विधि विरूद्ध आदेश पारित किया गया है जिसमें समय सीमा लागू नहीं होती है ।

(3) अपर आयुक्त के आदेश दिनांक 26–2–15 के पालन में अनावेदक कमांक 1 द्वारा तहसील न्यायालय में आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया था जो कि अन्तरण होकर अधीक्षक भू–अभिलेख को प्रकरण प्राप्त होने और अधीक्षक भू–अभिलेख के द्वारा दिनांक 26–11–2015 को आदेश पारित कर अनावेदक कमांक 1 का नाम राजस्व अभिलेखों में दर्ज करने के आदेश दिये गये हैं ।

(4) आवेदिका द्वारा कभी भी प्रश्नाधीन भूमि के बटवारा की कार्यवाही नहीं की गई है, जबकि उसकी जानकारी में यह तथ्य है कि प्रश्नाधीन भूमि अनावेदक कमांक 1 के कब्जे में है और वह कृषि कार्य कर रहा है ।

(5) अनुविभागीय अधिकारी द्वारा आदेश पारित करने में अनावेदक कमांक 1 को सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया है, अतः अनुविभागीय अधिकारी का आदेश निरस्त करने में अपर आयुक्त द्वारा कोई त्रुटि नहीं की गई है ।

(6) आवेदिका एवं अनावेदक कमांक 2 व 3 अनावेदक कमांक 1 की मौसी है, परन्तु आवेदिका द्वारा अपने पति के दबाव में आकर संपत्ति हड़पने के उद्देश्य से कार्यवाही की गई है

(7) तहसील न्यायालय द्वारा आवेदिका एवं अनावेदिका कमांक 2 व 3 के पक्ष में नामान्तरण आदेश पारित करने में विधि की प्रकिया का पालन नहीं किया गया है ।

5/ अनावेदक 2 व 3 के विद्वान अधिवक्ता द्वारा लिखित तर्क प्रस्तुत कर अनावेदक कमांक 1 के विद्वान अधिवक्ता द्वारा उठाये गये आधारों को ही समर्थन दिया गया है ।

6/ उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकों द्वारा प्रस्तुत तर्को के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश को देखने से स्पष्ट है कि अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष लगभग 8 वर्ष विलम्ब से प्रथम अपील प्रस्तुत की गई है और अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 13–1–2009 को आदेश पारित कर विलम्ब का कारण समाधानकारक नहीं पाते हुये अपील अवधि बाह्य होने से निरस्त की गई है, जबकि अपर आयुक्त द्वारा अपने आदेश में समय सीमा के संबंध में कोई निष्कर्ष नहीं निकाला गया है । इसके अतिरिक्त अधीनस्थ न्यायालयों में किसी भी स्तर पर अनावेदक कमांक 1 के पक्ष में निष्पादित वसीयतनामा प्रमाणित नहीं हुआ है । चूँकि प्रश्नाधीन भूमि पर मृतक भूमिस्वामी की तीनों पुत्रियों का नामान्तरण तहसीलदार द्वारा स्वीकृत किया गया है, ऐसी स्थिति में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अपील अवधि बाह्य मानकर निरस्त करने में पूर्णतः वैधानिक एवं न्यायिक कार्यवाही की गई है और उपरोक्त वैधानिक एवं तथ्यात्मक स्थिति पर बिना विचार किये अपर आयुक्त द्वारा अनुविभागीय अधिकारी का आदेश निरस्त किया गया है, जो कि विधिसंगत कार्यवाही नहीं ठहराई जा सकती है । अतः अपर आयुक्त का आदेश निरस्त किये जाने योग्य है ।

7/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त नर्मदापुरम संभाग होशंगाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक 26.2.2015 निरस्त किया जाता है । निगरानी स्वीकार की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर